

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/रॉची/हजारीबाग

जल संसाधन विभाग संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी
एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड रॉची।

रॉची, दिनांक १९/१०/२०२०

विषय :-

वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के दौरान ४९८२७०१०३००१०६ अंतर्गत ७ कार्यालयों को विभिन्न मर्दों में
कुल रु २५२.४६ लाख (दो करोड़ बावन लाख छियालीस हजार मात्र) राशि आवंटित करने के
संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में बजट मुख्य शीर्ष २७०१- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में
दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया
जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या ४९ जल संसाधन विभाग / २७०१-मध्यम सिंचाई	०३- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	००१-निदेशन तथा प्रशासन / ०६-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना	२५२.४६०

कुल आवंटित राशि -

रुपये दो करोड़ बावन लाख छियालीस हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के बजट उपबंध राशि ₹ ८६३९.३२ लाख (छियासी करोड़ उन्नालीस लाख बत्तीस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.१९८१, १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ एवं १६८१(वि०) दि० १६.०६.१५ के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
- सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त रथानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग का पत्रांक-१७० दिनांक-०१.०४.२०१४ से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना सह वित विभाग (वित प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय- समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिः)(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव(अभिः)

9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यापर्ण कर दिया जाय राशि का प्रत्यापर्ण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यापर्ण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Access No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 से पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

19/10/2020
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 67

रॉची, दिनांक :- 19/10/2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/देवघर/चाईबासा/गढ़वा/पलामु/जमशेदपुर/गिरीडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

19/10/2020
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 67

रॉची, दिनांक :- 19/10/2020

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशांता-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

19/10/2020

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

19/10/2020
(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव(अभि०)

19/10/2020
(प्रशांत कुमार)
सचिव

मुख्य शीर्ष-2701—मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03—मध्यम सिंचाई—वाणिज्यिक लघु शीर्ष-001—निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-06—छोटानामपर एवं संथाल

पत्रांक ६७ दिनांक १९/१०/२०२० का अनुलानवत

क्रमांक	वित्तीय वर्ष 2020-2021	विस्तृत शोर्ट-01-बेतन एवं नत्ते	विस्तृत शोर्ट-02-यात्रा आय	विस्तृत शोर्ट-03-प्रशासनिक आय					विस्तृत शोर्ट-04-मोटरार्डो इत्यादिया नियमन एवं नियमन	विस्तृत शोर्ट-05-ग्राम प्राप्ति विधि प्राप्ति	राष्ट्रीय लाख रुपये में					
				बेतन	पूर्व का बजारा	देशीय यात्रा	कार्यालय	किटरायारे	आमुनि एवं सामग्री	दूसाथ	बदी	विद्युत आय				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	त्रिप्य अमिनरंगा हजारीबाग	पूर्व का आवंटन आयटन	42,000	0.000	0.000	0.300	0.400	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	43,300	
2	अग्रिन योजना प्र०, पलामू	पूर्व का आवंटन आयटन	56,000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	56,300	
3	गुण नियंत्रण प्रमंडल, लखारीबाग	पूर्व का आवंटन आयटन	56,000	0.000	0.000	1.940	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	55,800	
4	जलपथ प्रमंडल, चार्दीवासा	पूर्व का आवंटन आयटन	55,000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	50,800	
5	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन आयटन	85,000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	1,000	0.000	86,600	
6	जलपथ प्रमंडल, जलपथ प्रमंडल, रोकी	पूर्व का आवंटन आयटन	228,000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	228,750	
7	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन आयटन	404,000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	404,500	
	अग्रिन योजना प्र०, अल्पसंन्दर्भ आवंटन	476,000	0.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	72,250	
	अग्रिन योजना प्र०, अल्पसंन्दर्भ आवंटन	252,000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	252,800	
	अग्रिन योजना प्र०, अल्पसंन्दर्भ आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.500
	अग्रिन योजना प्र०, अल्पसंन्दर्भ आवंटन	252,000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	253,300	
	अग्रिन योजना प्र०, अल्पसंन्दर्भ आवंटन	239,470	0.000	0.000	3.740	1.450	0.000	0.500	0.500	0.000	4,000	1,700	1,100	252,460		

卷之三

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये दो करोड़ बावन लाख छियालीस हजार मात्र

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

अशोक कुमार दास
संयुक्त सचिव (अभियंता)

प्रशांत
कुमार
सचिव